राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 183 अक्टूबर 2014

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

चर्चा में बाल विवाह

सम्पादकीय

दिल्ली कोर्ट ने, एक लड़की के मां-बाप के विरुद्ध उसका विवाह कम उम्र में कर देने पर मामला दर्ज करने का आदेश देते समय कहा कि "बाल विवाह बलात्कार से अधिक एक बुराई है और इसको समाज से पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए और यदि राज्य जैसे संबंधित पक्ष उचित कार्यवाही करने में असफल रहते हैं तो ऐसा करना संभव नहीं होगा।"

कोर्ट ने आगे कहा कि "बाल विवाह के गंभीर परिणाम होते हैं यह न केवल प्रतिवादी (पति और उसका परिवार) द्वारा अपितु उसके मां-बाप द्वारा भी बालिका के विरुद्ध की गई सबसे खराब रूप में घरेलू हिंसा है। बाल वधुओं को अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर नहीं मिलता है और उनका शारीरिक शोषण, एच.आई.वी. और अन्य बीमारियों से संक्रमण और गर्भावस्था के दौरान अथवा बच्चे को जन्म देते समय मृत्यु का बहुत अधिक खतरा बना रहता है।"

भारत में बाल विवाह पर यूनीसेफ की हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि 20-24 आयु वर्ग की जिन महिलाओं का सर्वे किया गया था, उनमें प्रत्येक पांच महिलाओं में से दो की बालिका की अवस्था में विवाह कर दिया गया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बाल विवाह की सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं और सभी राज्यों में राजस्थान अभी भी बाल-वधुओं की राजधानी है। 2009-11 के बीच राजस्थान में जिन सभी महिलाओं का विवाह हुआ था, उनमें से 15% कम आयु की थीं जो उत्तराखण्ड में ऐसी महिलाओं की प्रतिशतता से 10 गुना अधिक है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में बाल विवाह जिस धीमी दर से कम हो रहा है उससे तो इस प्रथा के उन्मूलन में लगभग 50 वर्ष लगेंगे। ये आंकड़े यह दोहराते हैं कि इस प्रतिगामी सामाजिक प्रथा को समाप्त करने के लिए देश में जो नीतियां अपनाई गई हैं और क्रियान्वित की गई हैं, वे असफल हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रगति नहीं हुई है परन्तु यह बहुत धीमी है।

पहले बाल विवाह लड़के और लड़कियों दोनों का होता था परन्तु अब अधिकतर लड़कियां हैं जिनका बहुत कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। अनेक लड़कियां तो स्कूल बिल्कुल नहीं जाती हैं और उनमें से अनेक विवाह होने पर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं। परिणामतः वे अपने समूचे जीवन के लिए अपने पतियों पर आश्रित हो जाती हैं। यह प्रथा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों और समूहों में अधिक प्रचलित है। यद्यपि बाल विवाह के विरुद्ध कानून हैं परन्तु उनका सरेआम उल्लंघन होता है। सरकार और अन्य निकायों के अभियान और जागरुकता कार्यक्रम अधिक प्रभावी होने चाहिए ताकि बालिकाओं के लिए बनाई गई योजनाओं का ठोस प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल में कन्याश्री प्रकल्प योजना के कारण, जिसमें बालिका विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, लड़कियां स्कूल की शिक्षा नहीं छोड़ती हैं और इनसे बाल विवाह पर रोक लगती है। केन्द्र और राज्य सरकारों को इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए इसी तरह की योजनाओं और प्रोत्साहनों को आरम्भ करना चाहिए

महत्वपूर्ण निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोर्ट दहेज मामलों में आरोपी के रूप में पति के दूर के रिश्तेदारों को उनके द्वारा निभाई गई किसी विशिष्ट भूमिका और ऐसे आरोपों के समर्थन में सामग्री के अभाव में बुला नहीं सकती है। इस बात की संभावना हो सकती है कि केवल पति और उसके मां-बाप और अधिक से अधिक बहुत ही निकट का पारिवारिक संबंधी ही दहेज मांग सकता है अथवा पत्नी को उत्पीड़ित कर सकता है लेकिन ऐसा दूर का रिश्तेदार नहीं कर सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि पहले गिरफ्तार करना और फिर आगे की कार्यवाही करने वाला दृष्टिकोण गलत है और पुलिस को भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के अंतर्गत गिरफ्तार करने से पूर्व मैजिस्ट्रेट को कारण और सबूत देने होंगे।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक डिवीजन बेंच ने यह निर्णय दिया कि राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह बिना वैध विवाह कराए भागे गए युवक-युवती के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करें और इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी की सुरक्षा से वंचित किया जा सकता है।
- सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की महिला कर्मचारी शीघ्र ही उनकी पसंद के स्थान पर पोस्टिंग की पात्र बन जाएंगी। वित्त मंत्रालय ने जीवन बीमा निगम सहित सरकारी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों को महिला हितैषी स्थानांतरण नीतियां बनाने को कहा है ताकि उनका स्थानांतरण वहां हो सके जहां उनके पति कार्य कर रहे हैं अथवा मां-बाप रह रहे हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा द्वारा दिवाली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं व्यक्त करना

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने भारत के लोगों और राष्ट्र महिला के पाठकों को भी दिवाली के अवसर पर यह कहते हुए शुभकामनाएं दी "यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की, निराशा पर आशा की और अंधेरे पर प्रकाश की जीत पर मनाया जाता है।" उन्होंने अपने संदेश में कहा, "दिवाली के इस शुभ अवसर पर मैं सभी लोगों को अपनी हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूं। इस वर्ष का त्यौहार महिला बराबरी के उद्देश्य को हासिल करके सद्भावना और विश्वास के संबंध को मजबूत करे। हम इस दिन महिला सशक्तिकरण का संदेश का प्रसार करने में अपने को समर्पित करें। दीपों का यह त्यौहार सब जगह शान्ति, समृद्धि और उन्नति लाए। यह त्यौहार सभी भारतीयों में परिवार, समुदाय और देश के बीच आपसी बंधन को अनुप्राणित करे और उसे सुदृढ़ता प्रदान करे।"

महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की रोकथाम

संयुक्त राष्ट्र महिलाओं द्वारा नई दिल्ली में "महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की रोकथाम : राज्य की जिम्मेदारी और सामुदायिक कार्यवाही" पर एक राष्ट्रीय विचार-विमर्श आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य समुदाय आधारित कार्यवाही द्वारा महिलाओं और लड़कियों की तस्करी रोकने और राज्य की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र का निर्माण करना था।

अध्यक्षा विचार-विमर्श सत्र में भाषण करती हुई

विचार-विमर्श का उद्देश्य सरकार, सिविल सोसायटी, धनदाता और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिभागियों के बीच तालमेल के लिए राज्य जिम्मेदारी के बेहतर तरीकों और महिलाओं और लड़कियों की तस्करी रोकने के लिए समुदाय आधारित मॉड्यूल के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करना था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, भारत में यूरोपियन यूनियन के राजदूत, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी संगठनों के कार्यकर्ताओं, पंचायतों, तस्करी से बची महिलाओं और समकक्ष शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों सहित 70 प्रतिभागियों ने इस विचार-विमर्श में भाग लिया।

कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी : आई.टी.पी.ए., 1956 में संशोधन किया जाए (क) मानव तस्करी की विस्तृत परिभाषा को शामिल किया जाए; (ख) सेक्स वर्कर को अपराधी न घोषित किया जाए; (ग) पुनर्वास को कानूनी आदेश और संवैधानिक अधिकार बनाया जाए; और (घ) मानव तस्करी रोकने के लिए एक नोडल एजेंसी स्थापित की जाए, आदि।

महिला और हिंसा पर सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने नई दिल्ली में जामिया मिलिया-इस्लामिया में "महिला और हिंसा : समतामूलक समाज के लिए चुनौती" पर एक दो-दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलती हुई अध्यक्षा ने इस बात पर जोर दिया कि महिला आधारित हिंसा समस्त देशों में व्याप्त है जो मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, शारीरिक पहलुओं में स्वयं को व्यक्त करती है। कन्या भ्रूण हत्या से दहेज उत्पीड़न तक ये महिला और पुरुष के बीच एक तरफा समीकरण को दिखाती हैं जहां शक्ति ढांचा महिलाओं को अनावश्यक प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने आगे कहा कि हमें न केवल कानूनों के द्वारा अपितु राजनीतिक इच्छा शक्ति के द्वारा महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कम करने और महिला न्यायमूलक समाज का निर्माण करने हेतु सुधार लाने के लिए कार्य करने का भरपूर प्रयास करेंगी।

स्वच्छता प्रतिज्ञा

2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए अध्यक्षा, सदस्यों, अधिकारियों और स्टॉफ ने देश को साफ-सुथरा रखने की स्वच्छता प्रतिज्ञा ली।

तेरापंथ महिला मंडल का राष्ट्रीय सम्मेलन

अध्यक्षा नई दिल्ली में जैन श्वेताम्बर तेरापंथ महिला मंडल द्वारा आयोजित 45वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि थी। अपना भाषण देती हुई उन्होंने कहा कि तेरापंथ बालिकाओं की रक्षा करने में और पर्यावरण संरक्षण और नशाखोरी छुड़ाने के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि तथापि, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए पुरुष और महिलाओं को मिल कर कार्य करना चाहिए।

अध्यक्षा श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई

हिंदी पखवाड़ा - 2014

हिंदी पखवाड़े के अवसर पर, आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों और स्टॉफ के लिए निबंध, अनुवाद, हिंदी में टिप्पण और प्रारूप, टाइपिंग और सुलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। अध्यक्षा ने विजेताओं को सर्टिफिकेट और नकद पुरस्कार प्रदान किया।

क्या आप जानते हैं?

टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा बोर्डों में महिलाओं वाली कंपनियों और लाभप्रदता के बीच संबंध पर कराए गए अध्ययन में निकले निष्कर्षों में यह पाया गया कि निजी क्षेत्र में और महिला निदेशकों वाली पेशेवर प्रबंधित फर्मों में बिना महिला निदेशकों वाली फर्मों की तुलना में बेहतर वित्तीय लाभ मिलता है। 100 उच्चतम भारतीय फर्मों का इक्विटी विवरण का विश्लेषण बताता है कि निजी क्षेत्र की कंपनी के बोर्ड ने, जिसमें पुरुष और महिलाएं हैं, पिछले वर्ष की तुलना में 2014 में रिटर्न ऑन इक्विटी में 4.4% की वृद्धि करने में सहायता की। इसकी तुलना में, बोर्ड में केवल पुरुष वाली ऐसी ही कंपनी में इसी अवधि में रिटर्न ऑन इक्विटी में सिर्फ 1.8% की वृद्धि हुई। यह परिवार द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के मामलों में भी सत्य है। दो महिला निदेशकों से अधिक निदेशकों वाली कंपनियों में पिछले वर्ष रिटर्न ऑफ इक्विटी में 1% की वृद्धि हुई जबकि बोर्ड में केवल पुरुष वाली कंपनियों की स्थिति बेहद खराब रही। उन्होंने 1.6% का नकारात्मक अंतर दिखाया।

सितम्बर, 2014 में प्राप्त शिकायतों की स्थिति

लिखित/ऑनलाइन में प्राप्त शिकायतें

महीना	अथ शेष (पिछले महीने का लंबित)	प्राप्त शिकायतें received	उन शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	कार्यवाही के लिए लंबित शिकायतें
सितम्बर, 2014	शून्य	3665	3215	449
ऑनलाइन	शून्य	325	287	38

अयोग ने सितम्बर, 2014 में 25 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या शमीना शफीक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च ऑन सरोगेसी द्वारा आयोजित सम्मेलन में उपस्थित हुई जिसमें प्रतिभागियों ने सरोगेसी जैसे सहायता प्रदत्त प्रजनन और इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आई.वी.एफ.) को नियमित करने वाले विधेयक पर चर्चा की, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इस अवसर पर बोलते हुए सदस्य ने कहा कि अनुबंध अंग्रेजी में हैं और इसे सरोगेट माताएं समझ नहीं सकेंगी जबकि सरोगेसी पूरी तरह से बच्चे के बारे में है न कि माता के बारे में। ● सदस्या नई दिल्ली में गिल्ड ऑफ सर्विस द्वारा आयोजित पुलिस सुधारों पर बैठक में उपस्थित हुई और पुलिसकर्मियों के कार्य और रहने की स्थितियों में सुधार करने पर चर्चा की। ● श्रीमती शफीक बेंगलुरू में एक कथित बलात्कार और यौन दुराचार की जांच करने के लिए अध्यक्षा की अध्यक्षता में एक जांच समिति की सदस्या थी। ● सदस्या देहरादून में इंडियन वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा "पुलिस सुधार - भारत में इसका परिदृश्य और चुनौतियां" पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार और पैनल चर्चा में उपस्थित हुई। ● श्रीमती शफीक, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में उपस्थित हुई।

सदस्या शमीना शफीक (दाहिने) पुलिस सुधारों पर बैठक में

सदस्या हेमलता खेरिया मैला ढोने वाली महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए

❖ सदस्या हेमलता खेरिया सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के महाममदाबाद तहसील में भंवरकोल खंड के रानीपुर और मास्थी गांवों में गई। ● बाद में, वह दलित, महादलित और मुशाहर महिलाओं और हाथ से सफाई करने वाले समुदाय की महिलाओं से भी मिलीं जिन्होंने उनसे सहायता करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें मजबूरन मेहतर के तौर पर कार्य करना होता है क्योंकि उनमें से अधिकांश भूमिहीन हैं और जिंदा रहने के लिए उन्हें अन्य जाति के लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि नए स्कावेंजिंग एक्ट के अंतर्गत उन्हें हाथ से सफाई करने वाला नहीं माना गया है जबकि नए अधिनियम के अनुसार वे सरकार से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि काम के बदले उन्हें मिलने वाला धन नाममात्र का है और इसलिए वे आर्थिक वैकल्पिक रोजगार चाहते हैं। उनमें से अधिकांश ने कहा कि वे अपने बच्चों को यही काम नहीं करवाना चाहते क्योंकि उन्हें अपने ही समुदाय में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और घर में भी उन पर दबाव बना रहता है। सदस्या के साथ उपस्थित अनेक अधिकारी यह जानकर अचंभित रह गए कि महिलाओं को अभी भी हाथ से मैला साफ करना पड़ता है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित है। सदस्या ने महसूस किया कि हमारे अधिनियम और कानूनों पर बेहतर निगरानी रखने की आवश्यकता है। ● सदस्या आगरा में जन-कल्याण समिति द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आयोजित दहेज पर एक सेमिनार में मुख्य अतिथि थी। ● सदस्या खेरिया दिल्ली में दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित हुई और बाद में काली पूजा समिति द्वारा करोल बाग, नई दिल्ली में आयोजित काली पूजा में उपस्थित हुई। उन्होंने बंगाली में राष्ट्रीय महिला आयोग की मुद्रित सामग्री वितरित की और महिला सशक्तिकरण और शिकायतों का निवारण करने में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया। ● वह मादीपुर, दिल्ली में रेगड़ महासम्मेलन में विशेष अतिथि भी थी।

विशिष्ट कार्य

किन्नौर, लाहौल और स्पिति घाटी के जनजातीय और दूरस्थ इलाकों और हिमाचल प्रदेश में पांगी में राज्य द्वारा चलाए जा रहे लगभग 50,000 बालिका विद्यार्थियों को पुलिस द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिना हथियार के युद्ध करने में प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 250 प्रशिक्षित पुलिस और महिला अधिकारियों ने लड़कियों को युद्ध कौशल सिखाया जिसमें मुक्का मारना, दुलत्ती मारना और एक से अधिक संख्या में हमलावर होने की स्थिति में स्वयं की रक्षा करना शामिल है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।